



अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरुस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालय: SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर



क्रमांक: ARUSMA / प्रदेश / राज. / 2025 / 249-251

दिनांक:- 01-01-2026

1. श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- मंत्रालयिक अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं पदोन्नति उपरांत पदस्थापन पर यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल एवं योगकाल दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने बाबत।

संदर्भ:- राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम- 1981, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम- 1971 एवं वित्त (नियम) अनुभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक- F.7(3) FD (Rules)/98 Dated- 02.08.2005 एवं F.12(6) FD (Rules)/05 Dated- 21.08.2007

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि संगठन आपका ध्यान कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यरत मंत्रालयिक अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हैं कि विभाग में पदस्थापित मंत्रालयिक अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं पदोन्नति उपरांत पदस्थापन के क्रम में नियमानुसार देय यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल एवं योगकाल के संबंध में प्रायः भ्रांति बनी रहती है। जिससे संबंधित कार्मिक के पात्र होने के उपरांत भी संबंधित स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं पदोन्नति उपरांत पदस्थापन आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण उन्हें नियमानुसार देय लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे पात्र कार्मिकों के द्वारा प्रेषित संबंधित स्वीकृति आदेशों में कोष कार्यालय या अंकेक्षण दल के द्वारा आपत्ति लगाई जाती है।

अतः इसी क्रम में श्रीमान् जी से अनुरोध हैं कि उपरोक्त विषय मे नियमानुसार संदर्भित पत्रों एवं श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक- शिविरा-माध्य/पेंशन-अ/34928/09/ दिनांक- 11.01.2017 (संलग्न) के समान ही एक परिपत्र जारी करावें ताकि उक्त नियमों एवं प्रावधानों का संबंधित स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों में उल्लेख छूट जाने के क्रम में संबंधित पात्र कार्मिकों को नियमानुसार स्वतः लाभ प्राप्त हो सकें।

दिनांक:- 01-01-2026

भवदीय

प्रकाश चन्द्र शर्मा
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

02/11/21 22:22

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/पेंशन-अ/34928/09/

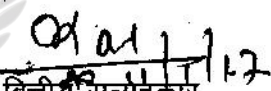
दिनांक 11.01.2017

: : परिपत्र : :

विषय :- अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी, के संदर्भ में पूर्व प्रसारित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशों में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम-1981 नियम 4 (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम-1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7 (3) FD (Rules)/98 Dated 02.08.2005 & F.12 (6) FD (Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा।

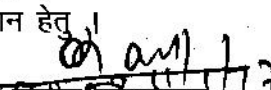

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/पेंशन-अ/34928/09/

दिनांक 11.01.2017

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ।
3. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारियों को ई-मेल सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन "ए-बी"/सी/एफ/सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5. अनुभाग अधिकारी, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु ।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर